

प्रेषक,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक- 1864

/स०क०/शिक्षा-अ/9/03/2025-26

लखनऊ

दिनांक 01 जुलाई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु शासन द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी को छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ यथासमय पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-129/2025/1905/26-3-2025-1396097 दिनांक 28-07-2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी की गयी है।

अतः शासनादेश दिनांक 28-07-2025 द्वारा जारी समय-सारिणी की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी को छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के निर्देशानुसार यथासमय पोर्टल खोलने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT
Date: 01-08-2025 (कमर प्रशान्त)
11:40:51 निदेशक

संख्या-129/2025/1905/26-3-2025-1396097

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1710-12/स०क०/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 15.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/ संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या-120/2025/1371/26-3-2025-1396097 दिनांक 18-06-2025 द्वारा समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि 31 दिसम्बर तक भुगतान के साथ-साथ दिनांक 02 अक्टूबर को भी भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- तत्कम में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
मास्टर डाटा		
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना	01 जुलाई, 2025 से 05 अक्टूबर, 2025 तक

	(नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके प्रमाणित करना।	
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	02 जुलाई, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक
3	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन. एस. पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग किया जाना मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन. एस. पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	02 जुलाई, 2025 से 14 दिसम्बर, 2025 तक
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर (कक्षा 9-12) दोनों के छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया		
4	छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना	02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक
5	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना	03 जुलाई, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक
6	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	03 जुलाई, 2025 से 04 नवम्बर, 2025 तक
7	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 जुलाई, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
प्रथम चरण		
8	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	31 अगस्त, 2025 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर, 2025 से 09 सितम्बर, 2025 तक
10	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	01 सितम्बर, 2025 से 11 सितम्बर, 2025 तक
11	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में	12 सितम्बर, 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक

	निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
12	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	23 सितम्बर, 2025 तक
13	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान की कार्यवाही।	02 अक्टूबर, 2025 तक
द्वितीय चरण		
14	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	06 नवम्बर, 2025 तक
15	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	07 नवम्बर, 2025 से 15 नवम्बर, 2025 तक
16	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	07 नवम्बर, 2025 से 17 नवम्बर, 2025 तक
17	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों/संस्था के स्तर से सही करना सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर एन0आई0सी0 द्वारा प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	18 नवम्बर, 2025 से 21 नवम्बर, 2025 तक
18	छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 23 नवम्बर, 2025 तक
19	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	18 नवम्बर, 2025 से 26 नवम्बर, 2025 तक

20	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना । तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना ।	27 नवम्बर, 2025 से 08 दिसम्बर, 2025 तक
21	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	18 नवम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक
22	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना ।	27 दिसम्बर, 2025 तक
23	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान की कार्यवाही ।	31 दिसम्बर, 2025 तक

- कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।
- कक्षा 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 12 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 11 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।
- विभिन्न हितधारकों के स्तर से प्रथम चरण के लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि भुगतान के उपरांत 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु भारत सरकार का डाटा शेयर किया जायेगा ।
- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलिओं में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 28-07-2025
14:55:52

प्र0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक-C-1863 /स०क०/शिक्षा-अ/9/03/2025-26

लखनऊ

दिनांक

01 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
- 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय ।
- 8- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 28-07-2025 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनोंमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें ।

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT

Date: 01-08-2025

11:41:40 (कुमार प्रशान्त)
निदेशक